GOVERNMENT OF BIHAR
Environment & Forest Department

DRAFT NOTIFICATION

Whereas, plastic carry bags cause short term and long term environmental damage and health hazard;

And Whereas, Article-48A of the Constitution of India, inter alia, envisages that the State shall endeavour to protect and improve the environment;

And Whereas, it is observed that plastic carry bags are non-biodegradable, produce toxic gases on burning, cause choking of sewers and drains, reduce soil fertility and pose threat to life of cattle eating plastic waste along with their feed;

And Whereas, the Government of Bihar after considering the adverse effects of plastic carry bags on the environment and local ecology felt that plastic carry bags have detrimental affect on the environment and human health;

Now Therefore, in exercise of the powers conferred by section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), delegated to this state vide MoEF, GoI notification no. S.O.152 (E), dated-10.02.1988 under section 23 of the said act, the Government of Bihar issues this notification to impose a complete ban on the manufacture, import, store, transport, sale and use of plastic carry bags (irrespective of their sizes and thickness) in the jurisdiction of all the Municipal Corporations, Municipal Councils and Nagar *Panchayats* in the State of Bihar after 30 days from the date of publication of this notification in the Official Gazette. In this context, the Government of Bihar hereby issues the following directions namely:-

Directions:

1. No person shall manufacture, import, store, distribute, sell, transport or use any kinds of plastic carry bags (irrespective of their sizes and thickness) in the jurisdiction of all the Municipal Corporations, Municipal Councils and Nagar *Panchayats* in the State of Bihar.

2. No person including a shopkeeper, vendor, wholesaler, retailer, trader, hawker, *feriwala* or *sabjiwala* shall sell or store or distribute or use any kind of plastic carry bags for storing or dispensing of any eatable or non-eatable goods or materials in the

jurisdiction of all the Municipal Corporation, Municipal Councils and Nagar Panchayats in the State of Bihar.

***Exceptions*:**

The use of plastic carry bags (>50 microns) only for collection/ storage of Bio-Medical Waste for its disposal as specified under the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 is exempted. State Government reserves the right to provide for any exception under this notification based on its assessment. The plastic containers used for packaging food materials, milk and milk products and raising plants in the nurseries shall not be deemed as carry bags.

Explanation:

For the purpose of this Notification "Plastic carry bags" shall have the same meaning as defined in the Plastic Waste Management Rules, 2016, issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India which is reproduced as below:-

"Carry bags" mean bags made from plastic material, used for the purpose of carrying or dispensing commodities which have a self carrying feature but do not include bags that constitute or form an integral part of the packaging in which goods are sealed prior to use.

Authorized Officers:

The following officers are hereby authorized to implement this notification in their respective jurisdiction namely:-

a. The Principal Secretary, Environment and Forest Department, Government of Bihar;
b. The Principal Secretary, Urban Development and Housing Department, Government of Bihar;
c. The Chairman or the Member Secretary, Bihar State Pollution Control Board;
d. The District Magistrate and Superintendents of Police in respect of their jurisdiction;
e. The Sub-Divisional Magistrate/Sub-Divisional Police Officers in respect of their jurisdiction;
f. The Municipal Commissioners in respect of Municipal Corporations;
g. The Executive Officers in respect of Municipal Councils and/or Nagar *Panchayats*;
h. The Regional Officers/ AEEs/ Scientists of Bihar State Pollution control Board;
i. All General Managers, District Industries Centre in respect of their jurisdiction;

Monitoring:

The Chairman, Bihar State Pollution Control Board and The Principal Secretary, Urban Development and Housing Department, Government of Bihar shall ensure monitoring and implementation of these directions. The authorized officers under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 shall be authorised to file complaint in the jurisdictional court of law in case of violation of these directions.

Enforcement:

This notification shall come into force after 30 days from the date of publication in Official Gazette.

By order of the Governor of Bihar

Principal Secretary
Environment & Forest Department
Government of Bihar

fcgkj ljdkj
i;koj.k ,o ou foHkkx

vf/klpuk dk ik:i

चूँकि प्लास्टिक कैरी बैग अल्पकालिक और दीर्घकालिक पर्यावरणीय नुकसान और स्वास्थ्य परिसंकट के कारक हैं;

और चूँकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 48–क, अन्य बातों के साथ–साथ परिकल्पित करता है कि राज्य पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए प्रयास करेगा;

और चूँकि यह देखा गया है कि प्लास्टिक कैरी बैग जैव–विघटेय नहीं हैं, जलने से विषाक्त गैसों का उत्सर्जन करते हैं, मलनालियों एवं नालियों को अवरूद्ध करते हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्षीण करते हैं तथा खाद्य पदार्थों के साथ प्लास्टिक अपशिष्ट खाने वाले जानवरों के जीवन को खतरा उत्पन्न करते हैं;

और चूँकि बिहार सरकार ने प्लास्टिक कैरी बैग से पर्यावरण एवं स्थानीय पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले कुप्रभाव के कारण प्लास्टिक कैरी बैग को पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक महसूस किया है;

इसलिए अब, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 की 29) की धारा–23 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के आलोक में अधिसूचना संख्या–एस0ओ0–152(ई0), दिनांक 10.02.1988 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत प्रदत्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार इस अधिसूचना के माध्यम से राज्य के सभी नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत की परिसीमा के अन्दर प्लास्टिक कैरी बैग (किसी भी आकार एवं मुटाई के) का विनिर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग को राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के पश्चात् पूर्णरूपेण प्रतिबंधित करती है। इस संदर्भ में बिहार सरकार निम्नलिखित निर्देश जारी करती हैः–

1. कोई व्यक्ति, राज्य के नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत की परिसीमा के अन्दर प्लास्टिक कैरी बैग (किसी भी आकार एवं मुटाई के) का विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय, परिवहन एवं उपयोग नहीं करेगा।
2. बिहार राज्य के सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के अधिकारिता में कोई व्यक्ति जिसमें दुकानदार, विक्रेता, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, व्यापारी, फेरी

लगाने वाले अथवा सब्जी विक्रेता आदि सम्मिलित हैं, प्लास्टिक कैरी बैग का विक्रय अथवा भंडारण अथवा वितरण अथवा खाद्य पदार्थ या गैर–खाद्य/सामग्रियों के भंडारण अथवा प्रदाय के लिए उपयोग नहीं करेगा।

vioknh&

जीव–चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप जीव–चिकित्सा अपशिष्टों के उचित निपटान हेतु इनके संग्रहण/भंडारण के लिए प्लास्टिक कैरी बैग (50 माइक्रोन्स से अधिक मुटाई वाले) के उपयोग की छूट दी जाती है। राज्य सरकार को आकलन के आधार पर इस अधिसूचना के तहत कोई अपवाद करने का अधिकार सुरक्षित है। खाद्य पदार्थों, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के पैकिंग तथा पौधशालाओं में पौधे उगाने हेतु प्रयुक्त प्लास्टिक पात्रों को थैली नहीं माना जाएगा।

Li"Vhdj.kh&

इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ ''प्लास्टिक की थैलियों'' का वही अर्थ होगा जैसा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 में परिभाषित है जिसे निम्न रूप में उद्धृत किया जाता है:–

''प्लास्टिक की थैलियों'' का तात्पर्य वस्तुओं को ले जाने या वितरण के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक सामग्री से निर्मित किसी प्रकार की थैली से है लेकिन इसमें वे थैलियाँ शामिल नहीं हैं, जो पैकेजिंग का भाग या हिस्सा बनती है या इसका अभिन्न अंग है, जिसमें प्रयोग से पूर्व वस्तुएँ सीलबन्द की जाती हैं।

izkf/kd`r inkf/kdkjh&

निम्नलिखित अधिकारियों को एतद् द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में इस अधिसूचना को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, अर्थात्–

1. प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार।
2. प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार।
3. अध्यक्ष एवं सदस्य–सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्।
4. जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक अपने क्षेत्राधिकार के संदर्भ में।
5. अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के संदर्भ में।
6. नगर आयुक्त, नगर निगम के संदर्भ में।
7. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत के संदर्भ में।

8. क्षेत्रीय पदाधिकारी/सहायक पर्यावरण अभियंता/वैज्ञानिक, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्।

9. सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र अपने क्षेत्राधिकार के संदर्भ में।

vuJo.k%&

अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् एवं प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा इन निर्देशों का सम्पूर्ण रूप से अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–19 के अधीन प्राधिकृत पदाधिकारी इस निर्देश की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध संबंधित क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय में शिकायत को दाखिल करने के लिए प्राधिकृत होंगे।

ioÙku:–

यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों के पश्चात् प्रवृत्त होगी।

fcgkj d jkT;iky d vknÛk l

i/kku lfpo]
पर्यावरण एवं वन विभाग,
बिहार सरकार